छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–20 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 29/ 12 / 2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.895 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. / F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।

3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / 115–889-A / 2474, दिनांक 27.10.2022।

–––000–––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र. / F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लंबाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालोद	बालोद	लोहारा	संजारी	आरक्षित वनभूमि	201	1.000	0.500	0.050
2			लोहारा	रायगढ़	आरक्षित वनभूमि	191	0.960	0.500	0.048
3			लोहारा	रायगढ़	आरक्षित वनभूमि	192	0.380	0.500	0.019
4			लोहारा	भेजरापठार	आरक्षित वनभूमि	193	1.060	0.500	0.053
5			लोहारा	भेजरापठार	आरक्षित वनभूमि	194	2.860	0.500	0.143
6			लोहारा	गुरामी	आरक्षित वनभूमि	173	0.680	0.500	0.034
7			दल्ली	झिंकाटोला	आरक्षित वनभूमि	180	0.440	0.500	0.022
8			खडगांव	हितकसा	आरक्षित वनभूमि	170	1.260	0.500	0.063
9			बालोद	बोरिद	आरक्षित वनभूमि	92	1.300	0.500	0.065
10			बालोद	दईहान	आरक्षित वनभूमि	96	2.760	0.500	0.138
11			बालोद	रानीतराई	आरक्षित वनभूमि	99	2.500	0.500	0.125
12			दल्ली	गोटूलमुण्डा	आरक्षित वनभूमि	144	0.700	0.500	0.035
13			गुरूर	जगतरा	आरक्षित वनभूमि	3	5.840	0.500	0.292

क्रमशः 2

178

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लंबाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
14	बालोद	बालोद	गुरूर	नाईकुरा	आरक्षित वनभूमि	16	1.200	0.500	0.060
15			गुरूर	कर्राझर	आरक्षित वनभूमि	20	4.960	0.500	0.248
16			गुरूर	मुजालगोंदी	आरक्षित वनभूमि	19	0.660	0.500	0.033
17			दल्ली	आमाबहरा	आरक्षित वनभूमि	77	0.620	0.500	0.031
18			दल्ली	आमाबहरा	आरक्षित वनभूमि	79	1.680	0.500	0.084
19			दल्ली	आमाबहरा	आरक्षित वनभूमि	56	0.720	0.500	0.036
20			दल्ली	आमाबहरा	आरक्षित वनभूमि	82	1.900	0.500	0.095
21			दल्ली	सिंघोला	आरक्षित वनभूमि	83	1.620	0.500	0.081
22			दल्ली	पुतरवाही	आरक्षित वनभूमि	85	1.600	0.500	0.08
23			दल्ली	पुतरवाही	आरक्षित वनभूमि	86	3.600	0.500	0.180
24			दल्ली	पुतरवाही	आरक्षित वनभूमि	118	0.180	0.500	0.009
25			डौंडी	पुतरवाही	आरक्षित वनभूमि	110	1.260	0.500	0.063
26			डौंडी	पुतरवाही	आरक्षित वनभूमि	122	2.420	0.500	0.121
27			डौंडी	चिहारो	आरक्षित वनभूमि	123	1.240	0.500	0.062
28			डौंडी	चिहारो	आरक्षित वनभूमि	124	1.200	0.500	0.060
29			डौंडी	शेरपर	आरक्षित वनभूमि	164	0.700	0.500	0.035
30			डौंडी	अंगारा	आरक्षित वनभूमि	163	0.980	0.500	0.049
31			लोहारा	जाटाडाह	आरक्षित वनभूमि	172	0.920	0.500	0.046
32			लोहारा	जाटाडाह	आरक्षित वनभूमि	176	0.100	0.500	0.005
33			लोहारा	बकाली टोला	आरक्षित वनभूमि	177	0.440	0.500	0.022
			आरक्षित वनभूमि का योग –				**49.740**	**0.5**	**2.487**
34			लोहारा	मात्री	संरक्षित वनभूमि	P307	0.420	0.500	0.021
35			बालोद	बनगांव	संरक्षित वनभूमि	P257	0.700	0.500	0.035
36			बालोद	मालगांव	संरक्षित वनभूमि	P251	1.040	0.500	0.052
37			डौंडी	धोर्रीटेमा	संरक्षित वनभूमि	P267	1.640	0.500	0.082
38			डौंडी	आमाडूला	संरक्षित वनभूमि	P263	0.880	0.500	0.044
39			दल्ली	गिधाली	संरक्षित वनभूमि	291	0.200	0.500	0.010
			संरक्षित वनभूमि का योग –				**4.880**	**0.5**	**0.244**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लंबाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	बालोद	बालोद	डौंडीलोहारा	पडवा पथरा	राजस्व वनभूमि	562	0.040	0.500	0.002
2			डौंडीलोहारा	पडवा पथरा	राजस्व वनभूमि	553	0.080	0.500	0.004
3			डौंडीलोहारा	गुरामी	राजस्व वनभूमि	43/403	0.140	0.500	0.007
4			डौंडीलोहारा	बिटाल	राजस्व वनभूमि	184	1.100	0.500	0.055
5			डौंडीलोहारा	हितकसा	राजस्व वनभूमि	143	0.080	0.500	0.004

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लंबाई (कि.मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
6			डौंडी	गोटूलमुण्डा	राजस्व वनभूमि	82/1	0.380	0.500	0.019
7			डौंडी	गोटूलमुण्डा	राजस्व वनभूमि	68/1	0.080	0.500	0.004
8			डौंडी	मलकुंवार	राजस्व वनभूमि	263/1	0.060	0.500	0.003
9			डौंडी	नर्राटोला	राजस्व वनभूमि	411/1	0.100	0.500	0.005
10			डौंडी	खैरवाही	राजस्व वनभूमि	348	0.260	0.500	0.013
11			डौंडी	ऑराटोला	राजस्व वनभूमि	74/1	0.500	0.500	0.025
12			डौंडी	अवारी	राजस्व वनभूमि	198/1	0.140	0.500	0.007
13			डौंडीलोहारा	सिवानी	राजस्व वनभूमि	10	0.060	0.500	0.003
14			डौंडीलोहारा	सिवानी	राजस्व वनभूमि	338	0.060	0.500	0.003
15			डौंडीलोहारा	सिवानी	राजस्व वनभूमि	607	0.120	0.500	0.006
16			डौंडीलोहारा	सिवानी	राजस्व वनभूमि	617	0.020	0.500	0.001
17			डौंडीलोहारा	जाटाडाह	राजस्व वनभूमि	57	0.040	0.500	0.002
18			डौंडी	गिधाली	राजस्व वनभूमि	117	0.020	0.500	0.001
राजस्व वनभूमि का योग –							**3.280**	**0.5**	**0.164**
कुल योग							**57.9 K.M.**	**0.5**	**2.895**

उक्त 57.9 कि.मी. लंबे तथा 0.5 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.895 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 2.487 हे. संरक्षित वन भूमि 0.244 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.164 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा ।

3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।

5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।

6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।

7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।

8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

क्रमशः 4

9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।

10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।

11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा ।

12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण / विकास हेतु समय–समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तो के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

28.12.22
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–20 / 2022 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29 / 12 / 2022

प्रतिलिपि :–

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग